न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/47/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/85

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री विष्णु चावड़ा पुत्र श्री हेमकरण चावड़ा नि0 50—51, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 18.06.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27.07.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 12.04.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी कार्यालय से संबंधित 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना—पत्र दिनांकः 14.06.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 29.06.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही ई—मेल के जरिये भी नोटिस प्रेषित करते हुए जवाब चाहा गया किन्तु जवाब अप्राप्त रहा। प्रकरण में दिनांक 29.06.2021 को स्मरण पत्र जारी किए जाने पर प्रत्यर्थी की ओर से पत्रांकः 3133 दिनांकः 12.07.21 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 12.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः 1710 दिनांकः 07.06.2021 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर आवेदक को सूचित किया गया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत RTI आवेदन दिनांकः 12.04.21 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से सूचित किया गया है।
8. अपीलार्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांकः 12.04.21 के बिन्दु सं.2 में वांछित जानकारी बेहद विस्तृत, श्रमसाध्य, समयसाध्य है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)बी के आलोक में पूर्ण विशिष्टीकृत भी नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

9. अस्तु अपील खारिज की जाती है, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि RTI आवेदन दिनांकः 12.04.21 के बिन्दु सं.2 में वांछित जानकारी के क्रम में उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में किसी भी कार्यालय दिवस में प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर सूचना संक्षिप्त व चिन्हित कर नियमानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त करे, साथ ही प्रत्यर्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि RTI आवेदन दिनांकः 12.04.21 के बिन्दु सं.2 में वांछित रिकॉर्ड का अवलोकन कराकर चिन्हित दस्तावेजात् की सत्यापित प्रति, अधिनियम के प्रावधानों के तहत फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कर प्रत्यर्थी को सूचना उपलब्ध करावें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

27/7/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान प्रशासन